झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर
(जिला कल्याण शाखा)

दूरभाष सं0 : 06432-234830 फैक्स : 06432-232967 ई–मेल : weldeo@yahoo.com

आ दे श

COVID-19 के संक्रमण से होने वाली बीमारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूरे देश में **लॉकडाउन** घोषित किया गया है, इससे हमारे देवघर जिले में कुछ नागरिक एवं बाहर से आए मजदूर भी आश्रय विहीन हो गए है। उन्हें तत्काल रूप से बुनियादी सुविधाएँ (आवासन/पानी/दवा/भोजन आदि) उपलब्ध कराने हेतु जिले के निम्नलिखित कल्याण विभाग के छात्रावास को **अस्थायी आश्रयगृह** के रूप में चिन्हित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

क्र0	अस्थायी आश्रय गृह का नाम	प्रखंड का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	ए0एस0 महाविद्यालय परिसर स्थित पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास, देवघर	देवघर	
2	रमादेवी महिला महाविद्यालय परिसर स्थित बालिका अनुसूचित जाति छात्रावास, देवघर	देवघर	
3	मातृमंदिर परिसर स्थित अनुसूचित जन जाति छात्रावास, देवघर का (उपरी तल)	देवघर	
4	लखोरिया उच्च विद्यालय, परिसर स्थित पिछड़ी जाति छात्रावास, लखोरिया, सारवॉ	सारवॉ	
5	रा0कल्याण उच्च विद्यालय, चुल्हिया स्थित अनु0जाति छात्रावास, चुल्हिया प्रखंड मोहनपुर	मोहनपुर	
6	बभनगामा उच्च विद्यालय, परिसर स्थित कल्याण छात्रावास, बभनगामा, सारठ	सारठ	
7	सरसा उच्च विद्यालय, परिसर स्थित अनु0जाति कल्याण छात्रावास, सरसा, पालाजोरी	पालाजोरी	
8	सिमला उच्च विद्यालय परिसर स्थित अनु0जन जाति छात्रावास, सिमला, पालाजोरी	पालाजोरी	
9	अंची देवी बालिका +2 विद्यालय परिसर स्थित अनु0जाति कल्याण छात्रावास, मधुपुर	मधुपुर	
10	अंची देवी बालिका +2 विद्यालय परिसर स्थित अनु0जनजाति कल्याण छात्रावास, मधुपुर	मधुपुर	
11	अंची देवी बालिका +2 विद्यालय परिसर स्थित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, मधुपुर	मधुपुर	
12	करौं उच्च विद्यालय परिसर स्थित अनुसूचित जन जाति छात्रावास, करौं	करौं	
13	मार्गोमुण्डा उच्च विद्यालय परिसर स्थित अनुसूचित जन जाति छात्रावास, मार्गोमुण्डा	मार्गोमुण्डा	

उपरोक्त चिन्हित आश्रयगृह में मुलभूत सुविधा जैसे रहने हेतु कमरा को विशेष रूप से साफ सफाई कराना, आश्रितों के लिए पेयजल, शौचालय, बेड एवं खाने–पीने की व्यवस्था का होना अतिआवश्यक है। इन सारी सुविधाओं को चिन्हित स्थलों पर व्यवस्थित करने हेतु सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, देवघर जिला को नामित किया जाता है। इसके साथ–साथ सभी संबंधित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाता है कि छात्रावास भवन को अस्थायी आश्रयगृह का संचालन हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को हस्तगत कराते हुए अपने स्तर से यथासंभव सहयोग/आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक 298 /जि0क0, देवघर, दिनांक 27 वीं, मार्च 2020 ई0।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर/सारठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अस्थायी आश्रयगृह में रहने वाले आश्रितों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।